न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 30 / 2021

वादीगण :—

1. भगवानसिंह पुत्र डाउसिंह
2. ईश्वरसिंह पुत्र डाउसिंह
3. अशोकसिंह पुत्र डाउसिंह
4. पानी पत्नी डाउसिंह
5. रेखा पुत्री डाउसिंह
6. सीता पुत्री डाउसिंह जातिगण रावत निवासीगण दादी, गजनाई तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. रूपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)
2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92ए आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थिति :—

1. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

दिनांक :— 18/07/2023

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92ए आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम गजनाई पर0मे0 गुड़ा बींजा तहसील सोजत में वादीगण के पिता / पति डाउसिंह की खातेदारी सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 622 / 1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 की स्थित है। जिस कृषि भूमि पर वादीगण का उनके पिता / पति के समय से नियमित एवं शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पिता डाउसिंह का आज से करीब 32 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। लेकिन शिक्षा के अभाव में विधिवत खातेदारी वादीगण को प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा वारिशान से रूबरू होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, केवल मात्र गंवाई व पडोसी लोगों के कहने पर गलत राय से वादीगण के आधे—अधूरे नाम दर्ज कर दिये। खसरा नंबर 622 / 1075 रकबा 1.2500 हैक्टर कृषि भूमि में संवत् 2029—30 में वादीगण के पिता डाउसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। लेकिन सैटलमेंट के पश्चात् तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा संवत् 2048—2051 की जमाबंदी में विधि विरूद्ध तरीके से मनमाने तरीके से खातेदारी आधी—अधूरी दर्ज कर दी। जमाबंदी संवत् 2052—2055 में वादीगण के पिता / पति डाउसिंह के स्थान पर केवल इस प्रकार खातेदारी दर्ज की। संवत् 2060—2063 व 2064—2068 की जमाबंदी में भी डाउसिंह के स्थान पर भगवानसिंह ही दर्ज कर दिया तथा संवत् 2056—2059 में भी जमाबंदी में भी डाउसिंह के स्थान पर भगवानसिंह ही दर्ज किया तथा उसके पश्चात् संवत् 2076—2079 की जमाबंदी में भंवरसिंह का 1 / 2 हिस्सा एवं रूपसिंह 1 / 2 हिस्सा दर्ज कर दिया। इस प्रकार बिना किसी उचित कारण के राजस्व अधिकारी को डाउसिंह के पुत्र भगवानसिंह तथा वादीगण का नाम हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिनांक 17.08.2020 को राजस्व रेकर्ड की नकलें लेने पर जानकारी में आया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण के नाम हटा दिये गये है तथा जमाबंदी में सर्वप्रथम डाउसिंह के स्थान पर ईश्वरसिंह, नाथुसिंह, भगवानसिंह, कवरी, पानी दर्ज किया। जबकि डाउसिंह के पुत्र का नाम अशोकसिंह है, उसके स्थान पर नाथुसिंह लिख दिया। आगे की जमाबंदियों में सम्पूर्ण नाम विलोपित कर दिये। वादीगण द्वारा इस बाबत तहसीलदार सोजत को खातेदारी दर्ज करने का प्रार्थना पंत्र प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार सोजत ने नायब तहसीलदार बगड़ी को नियमानुसार जांच कर विधिवत खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन आज तक प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे बिनाय दावा दिनांक 21.08.2020 को वमुकाम गजनाई में पैदा हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 की कृषि भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में डाउसिंह के स्थान पर वादीगण के नाम अंकित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस प्रकार राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना/तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 04.01.2022 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 सं0 02 सरकार की ओर से तहसीलदार सोजत ने जबाब दावा पेश कर पैरा संख्या 1 व 2 वादी स्वयं सिद्ध करना अंकित करते हुये अन्य पैरा कानूनी होना अंकित किया है।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादीगण वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 की कृषि भूमि से सैटलमेंट पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता डाउसिंह के स्थान पर गलत व त्रुटिपूर्ण खातेदारी दर्ज करवा दी तथा राजस्व रेकर्ड से अशोकसिंह वगैरह के नाम हटा दिये, जिसे वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध वादस्थ भूमि के खसरा नंबर 622/1075 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में डाउसिंह के स्थान पर अपने नाम जरिये आज्ञात्मक आज्ञा अंकित करवाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादीगण द्वारा शहादत वादीगण के प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ – पत्र ईश्वरसिंह एवं भगवानसिंह के तस्दीक सुदा शपथ – पत्रों पर जिरह के कलमबद्ध बयानात सा0मि0 किया गया। अन्य शहादत वादीगण पेश नही करना चाहने से शहादत वादीगण दिनांक 06.08.2022 को बन्द की गई। शहादत प्रति पेश नही करने से बन्द की जाकर बहस वकील वादी व तहसीलदार सोजत सुनी गई।

बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण में बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 मूल पुरूष डाउसिंह के नाम दर्ज थी। डाउसिंह के कुल पॉच वारिसान कमशः पानी देवी माता, कवरी देवी माता, भगवानसिंह पुत्र, ईश्वरसिं, अशोकसिंह, पुत्रान व रेखा व सीता पुत्रीया हुई। किन्तु डाउसिंह की मृत्यु के पश्चात दर्ज नामान्तरकरण संख्या 132 में अशोसिंह के स्थान पर नाथुसिंह गलत दर्ज कर दिया गया जबकि नाथुसिंह नाम का कोई वारिस डाउसिंह के नही था। नाथुसिंह के स्थान पर अशोकसिंह दर्ज किया जाना चाहिए था जो नही किया गया। उक्त नामान्तरकरण से बनी जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा जमाबन्दरी सम्वत 2048 से 2051 में भंवरसिंह , डाउसिंह , रूपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह , दुर्गसिंह पुत्र पीथासिंह कौम रावत दर्ज कर दिया गया। आगामी जमाबन्दी संम्वत 2056 से 59 में डाउसिंह के मात्र भगवानसिंह को वारिस बताते हुए वादी का नाम विलोपित कर दिया गया। इसके पश्चात जमाबन्दी वर्ष 2076 से 79 में भगवानसिंह का भी नाम हटा दिया गया। उक्त त्रुटिया आगे से आगे पश्चातवृति जमाबन्दी में यथावत चला आ रहा हैं। जिससे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जबाब बहस में प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार सोजत ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रतिवादी पर लिये गये बयानात तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. आया वादीगण वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 की कृषि भूमि से सैटलमेंट पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता डाउसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

गलत व त्रुटिपूर्ण खातेदारी दर्ज करवा दी तथा राजस्व रेकर्ड से अशोकसिंह वगैरह के नाम हटा दिये जिसे वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण में प्रदर्शित करवाये गये दस्तावे प्रदर्श–1 खसरा मिलान में वादस्थ भूमि भवरसिंह, डाउसिंह , रूपसिंह, पिता इन्द्रसिंह, दुर्गसिंह वगैहर दर्ज सुदा है। इनमें डाउसिंह का देहान्त होने से नामा0 संख्या 132 दर्ज करवाकर भवरसिंह पुत्र उदेसिंह, भगवानसिंह, ईश्वरसिंह नाथुसिंह पि0 डाउसिंह पानी कवरी बेवा डाउसिंह दर्ज किया गया जो प्रदर्श–3 से स्पष्ट है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2057 में डाउसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र ईश्वरसिंह अंकित कर दिया गया जबकि ईश्वरसिहं डाउसिंह का पुत्र है। आगामी जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 प्रदर्श –4 में ईश्वरसिंह, नाथुसिंह, पानी , कवरी का नाम हटाकर मात्र भगवानसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया। एवं जमाबन्दी सम्वत 2076 से 79 में भगवानसिंह का नाम भी राजस्व रेकर्ड में हटा दिया जाने की पुष्टि होती है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य व बयानात गवाह से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण मूल पुरूष डाउसिंह के वारिसान है। जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में त्रूटि वश राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया जिससे वीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कायम की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध वादस्थ भूमि के खसरा नंबर 622/1075 की भूमि में राजस्व रेकर्ड में डाउसिंह के स्थान पर अपने नाम जरिये आज्ञात्मक आज्ञा अंकित करवाने का अधिकारी हैं।

–जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण में प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श–13 से पुष्टि होती है कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 मूल पुरूष डाउसिंह के नाम दर्ज थी। डाउसिंह के कमशः वारिसान कमशः पानी देवी माता, कवरी देवी माता, भगवानसिंह पुत्र, ईश्वरसिंह पुत्र, अशोकसिंह पुत्र, सीता पुत्री व रेखा पुत्री हुए। किन्तु डाउसिंह की मृत्यु के पश्चात दर्ज नामान्तरकरण संख्या 132 में अशोसिंह के स्थान पर नाथुसिंह गलत दर्ज कर दिया गया जबकि नाथुसिंह नाम का कोई वारिस डाउसिंह के नही था। नाथुसिंह के स्थान पर अशोकसिंह दर्ज किया जाना चाहिए था जो नही किया गया। उक्त नामान्तरकरण से बनी जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा जमाबन्दरी सम्वत 2048 से 2051 में भंवरसिंह , डाउसिंह , रूपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह , दुर्गसिंह पुत्र पीथासिंह कौम रावत दर्ज कर दिया गया। आगामी जमाबन्दी संम्वत 2056 से 59 में डाउसिंह के मात्र भगवानसिंह को वारिस बताते हुए वादी का नाम विलोपित कर दिया गया। इसके पश्चात जमाबन्दी वर्ष 2076 से 79 में भगवानसिंह का भी नाम हटा दिया गया। बिना किसी वैध अधिकार के खातेदार का नाम विलोपित करना विधि अनुरूप नही माना जा सकता नामा0 संख्या 132 से किये गये इन्द्राज में भी भगवानसिंह के पिता का नाम ईश्वरसिंह इन्द्राज किया गया है जो विधि अनुरूप नही है। वादीगण ने वादपत्र में नाथुसिंह के नाम का काई वारिस मृतक डाउसिंह के नही था। अशोसिंह का नाम लिपिकिय त्रूटिवश नाथुसिंह दर्ज कर दिया गया है। जो शहादत वादी मे प्रस्तुत बयानात से स्पष्ट होता है। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कायम की जाती है।

वस्तुतः सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 मूल पुरूष डाउसिंह व अन्य सह खातेदारो को नियमन की गई थी। डाउसिंह के कमशः वारिसान कमशः पानी देवी माता, कवरी देवी माता, भगवानसिंह पुत्र, ईश्वरसिंह पुत्र, अशोकसिंह पुत्र, सीता पुत्री व रेखा पुत्री हुए। मूल पुरूष डाउसिंह की मृत्यु के पश्चात दर्ज नामान्तरकरण संख्या 132 में अशोकसिंह के स्थान पर नाथुसिंह गलत दर्ज कर दिया गया जबकि नाथुसिंह नाम का कोई वारिस डाउसिंह के नही था। नाथुसिंह के स्थान पर अशोकसिंह दर्ज किया जाना चाहिए था जो नही किया गया। उक्त नामान्तरकरण में से बनी जमाबन्दी सम्वत 2048 से 51 में डाउसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र ईश्वरसिह , नाथुसिंह पुत्र डाउसिंह, पानी , कवरी बेवा डाउसिंह दर्ज किया गया। यहा भगवानसिंह के पिता का नाम ईश्वरसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि ईश्वरसिंह डाडससिंह का पुत्र व भगवानसिंह का भाई है। आगामी जमाबन्दी संम्वत 2056 से 59 में डाउसिंह के मात्र

उपखण्ड अधिकारी

भगवानसिंह को वारिस बताते हुए अन्य खातेदारो का नाम विलोपित कर दिया गया। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2076 से 79 में भगवानसिंह का भी नाम हटा दिया गया। जो इन्द्राज आगे से आगे पश्चातवृति जमाबन्दी में यथावत चला आ रहा हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारी / कर्मचारी द्वारा डाउसिंह के विधिक वारिसान को वादस्थ भूमि मे खातेदारी अधिकार देने में भूल हुई है। राजस्व रेकर्ड में डाउसिंह के दो पत्निया होना स्पष्ट होता है जिसमें कवरी देवी का देहान्त हो चुका है एवं अशोकसिंह कवरीदेवी का पुत्र है जो वादी पक्षकार के रूप से संयोजित है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में डाउसिंह के स्थान पर वादीगण भगवानसिंह पुत्र डाउसिंह, ईश्वरसिंह पुत्र डाउसिंह, अशोकसिंह पुत्र डाउसिंह, पानी पत्नी डाउसिंह, रेखा पुत्री डाउसिंह, सीता पुत्री डाउसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित जाकर तथा डाउसिंह का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में डाउसिंह के स्थान पर वादीगण भगवानसिंह पुत्र डाउसिंह, ईश्वरसिंह पुत्र डाउसिंह, अशोकसिंह पुत्र डाउसिंह, पानी पत्नी डाउसिंह, रेखा पुत्री डाउसिंह, सीता पुत्री डाउसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा डाउसिंह का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत